

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विवेकानन्द ठाकुर,
अवर सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्राचार्य,
पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।
नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना।
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर।
दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय।
जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर।
अनुग्रह नारायण मगध चिकित्सा महाविद्यालय, गया।
वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा।
राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया।
जननायक कर्पूरी ठाकुर चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा।

पटना, दिनांक- 07-08-2018


विषय :- गैर संवर्गीय चिकित्सक शिक्षक (संविदा) को विभागाध्यक्ष का दायित्व आवंटित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों के विभिन्न विभागों में कार्यरत वरीयतम नियमित प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक को ही विभागाध्यक्ष का दायित्व आवंटित किया जाए न कि संविदारत् संवर्गीय/गैरसंवर्गीय चिकित्सक शिक्षकों को। यदि किसी विभाग में नियमित प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक उपलब्ध न हों तो उक्त परिस्थिति में विभाग से दिशा-निर्देश प्राप्त करने के पश्चात् ही कोई कार्रवाई की जाए।

2. एतद् संबंधी पूर्व निर्गत विभागीय परिपत्र सं०-155(17) दिनांक-26.02.2014 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

विश्वासभाजन


(विवेकानन्द ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक -17/विविध 1-49/2018-552(17) पटना, दिनांक- 07-08-2018

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (डा० कौशल किशोर) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।